

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
स०-८डी०(बजट-आबंटन 2251)-13-10/2016-158

प्रेषक,

गौतम पासवान,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सरकार के अवर सचिव,
-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग,
बिहार पटना।

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर योजनान्तर्गत मुख्य शीर्ष "मुख्य शीर्ष 2251- सचिवालय-
सामाजिक सेवायें -090 सचिवालय -0023- अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण
विभाग गैर योजना अंतर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से कार्यालय व्यय में ₹2,15,000/-
(दो लाख पंद्रह हजार रू०) मात्र का अतिरिक्त आवंटन ।

पटना, दिनांक- 31/3/2017

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृतिदेश सं० 157 दिनांक 31.03.2017 द्वारा "मुख्य शीर्ष 2251- सचिवालय-सामाजिक सेवायें -090 सचिवालय -0023- अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग विपत्र कोड-N2251000900023 (मांग सं०44) कार्यालय व्यय में ₹2,15,000/- (दो लाख पंद्रह हजार रू०) मात्र का पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त राशि उपबंध किया गया है । उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में मुख्यालय के लिये कार्यालय व्यय में ₹2,15,000/- (दो लाख पंद्रह हजार रू०) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दिया जाता है ।

2. आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत प्रपत्र सं 2561 दि० 17.04.98 एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेश/अनुदेश के आलोक में किया जायेगा।

3. आवंटित राशि का वित्तीय वर्ष 2016-17 में "मुख्य शीर्ष "2251-सचिवालय-सामाजिक सेवायें-090 सचिवालय(मांग सं० 44)-0023- अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग 1301-कार्यालय व्यय ईकाई विपत्र कोड-N2251000900023 में विकलनीय होगा।

4- आवंटित राशि के विरुद्ध किये गये व्यय का प्रतिवेदन निकासी एवं व्यय प्राधिकारी द्वारा विगत माह के 10 तारीख तक निश्चित रूप से बजट प्रभारी पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाये।

5- आवंटित राशि का प्रत्यापण प्रतिवेदन दि० 31.03.17 तक निश्चित रूप से बजट प्रभारी पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाय ।

विश्वासभाजन,

(गौतम पासवान,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक- 8डी०(बजट-आबंटन 2251)-13-10/2016-158 पटना, दिनांक 31/3/2017
प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना
/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रशाखा पदा० 1जी०/6जी०/लेखा शाखा, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति
कल्याण विभाग (दोहरी प्रति में) सांख्यिकी कोषांग, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।